-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 06 अलग-अलग मामलों में 09 अभियुक्तों को 12500/ रुपयो के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप **06 अलग-अलग मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को 12500/ रुपये के** से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 181/23 धारा 504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. **छोट्टी पत्नी स्व0 सत्तीदीन 2. फूला पुत्री स्व0 सत्तीदीन निवासी गुरेह थाना कोतवाली देहात** जनपद बांदा को कुल **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 50/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त **राजेश वर्मा पुत्र तिजोता निवासी शिवरामपुर थाना कर्वी** जनपद चित्रकूट को **1500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 212/12 धारा 354/504/506 भादवि के अभियुक्त **रामनरेश पुत्र बाबूलाल निषाद निवासी तेरा 'ब' थाना अतर्रा** जनपद बांदा को **2500/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 98/20 धारा 427 भादवि के अभियुक्त **कुलदीप पुत्र नत्थू निवासी ग्राम तुर्रा थाना बदौसा** जनपद बांदा को **500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 43/11 धारा 60/63 आवकारी अधिनियम के अभियुक्त **राजा बैतौंहा पुत्र रामनरेश निवासी गौतमपुर थाना बदौसा** जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 26/12 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. **रमाशंकर पुत्र शिवपूजन 2. चन्द्रमा प्रसाद पुत्र शिवपूजन 3. रामानन्द पुत्र शिवधनी निवासीगण ग्राम रानीपुर थाना कमासिन** जनपद बांदा को कुल **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।